न्यायालय,भूमि सुधार उप समाहर्ता,अरवल
दाखिल खारिज अपीलवाद सं०– 7/12–13
इस्तेयाक आलम एवं अन्य वनाम् तारिक अनवर
आदेश

यह दाखिल खारिज अपीलवाद इस्तेयाक आलम पिता स्व० अब्दुल हक एवं सरफराज आरीफ पिता स्व० मुस्तफा हुसैन दोनों साकिन वलिदाद थाना मेहन्दिया जिला अरवल द्वारा दाखिल खारिज वाद सं०274/12–13 में अंचल अधिकारी कलेर द्वारा दिनांक 29.05.12 को पारित आदेश के विरूद्व दायर किया गया है। अपील आवेदन समय सीमा के अंदर दायर नही करने के संबध में अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता को सुनने के उपरांत वाद की प्रविष्टि की गई। विवादित भूमि निम्न है:–

खाता	खेसरा	रकवा	
251	1385	32 डी०	ग्राम–वलिदाद,(118)थाना मेहन्दिया,अंचल कलेर
246	1393	15 डी०	ग्राम–वलिदाद(118),थाना–मेहन्दिया,अंचल कलेर

उभय पक्षों को नोटिस निर्गत कर वाद की सुनवाई की गई।

उभय पक्षों के विद्वान अधिवक्ताओं को सुना।

अपीलार्थीगण के विद्वान अधिवक्ता का कहना है कि विपक्षी–2 अपीलार्थीगण के भतीजा है। अपीलार्थीगण और विपक्षी–2 के पिता मो० अल्ताफ हुसैन के बीच खतियानी और अल्ताफ हुसैन के नाम क्रय की गई विवादित भूमि का बॅटवारा 12.01.92 को ही हो चुका है जिसके आलोक में जमाबंदी बॅटवारा वाद सं०651/98–99 द्वारा दिनांक 18.12.98 को उपरोक्त तीनों भाइयों के नाम से जमाबंदी भी अलग अलग हो गया है और अलग अलग रसीद भी कट रही है। उपरोक्त बॅटवारा मे आवेदक इस्तेयाक आलम को खाता 251 खेसरा 1385 कर रकवा 10 डी० एवं खाता 246 खेसरा 1393 कुल रकवा 15 डी० मिला और मुस्तफा हुसैन,आवेदक – 2 के पिता को खाता 251 खेसरा 1385 रकवा 11 डी० प्राप्त हुआ। अंचल अधिकारी कलेर ने अपीलार्थीगण को बिना सूचना के पूर्ववर्ती जमाबंदी को कायम रहते हुए उतरवादी सं०– 2 के नाम दूसरी जमाबंदी कायम का आदेश दाखिल खारिज वाद सं० 274/12–13 के द्वारा पारित किया है जो विधि विरूद्व तथा न्याय के नैसर्गिक सिद्वान्त के विरूद्व है।

उतरवादी – 2 के विद्वान अधिवक्ता का कहना है कि विवादित भूमि उतरवादी – 2 के पिता मो अल्ताफ हुसैन की खरीदगी भूमि है जिसपर खरीदगी की तिथि से मो०अल्ताफ हुसैन का दखल कब्जा है तथा कुछ अंश में मकान बनाकर रह रहे है। दिनांक 17.05.10 को अल्ताफ हुसैन ने उक्त जमीन को अपने सुपुत्र मो० तारिक अनवर को केवाला कर दिया जिसका तारिक अनवर दाखिल खारिज कराकर रसीद कटा रहे है। वादी द्वारा दायर आवेदन में पैतृक संपति मनगढ़त बाते बनाकर वर्णित किया गया है क्योंकि वादी के पिताजी स्व० अब्दुल हक के नाम से 3.93 एकड़ जमीन मात्र था जिसका खाता सं०250,247,265,236 एवं 20 है। अतः अपीलवाद खारिज होने योग्य है।

उभय पक्षों के विद्वान अधिवक्ताओं को सुना एवं वाद में पोषित कागजातों का

अवलोकन किया। जमाबंदी बॅटवारा वाद सं० 651/98–99 के द्वारा विवादित खाता 246 खेसरा 1393 कुल रकवा 15 डी० आवेदक इस्तेयाक को मिला और विवादित खाता 251 खेसरा 1385 का 10 डी० इस्तेयाक आलम,11डी० मुस्तफा हुसैन,अपीलार्थी 2 के पिता एवं शेष 11 डी० अल्ताफ हुसैन को मिला। अचल अधिकारी कलेर ने पूर्व के जमाबंदी कायम रहते हुए दाखिल खारिज वाद स० 274/12–13 के द्वारा विवादित जमीन का जमाबंदी उतरवादी – 2 तारिक अनवर के नाम कायम कर दिया है जो गलत है। अतः दाखिल खारिज वाद सं० 274 में दिनांक 29.05.12 को अंचल अधिकारी कलेर द्वारा पारित आदेश को खारिज किया जाता है। अंचल अधिकारी कलेर को निर्देश दिया जाता है कि वे जमाबंदी वाद स० 651/98–99 में पारित आदेश के आलोक में जमाबंदी रजिस्टर में सुधार कर दें।

लेखापित एवं संशोधित

भूमि सुधार उप समाहर्ता
अरवल।

भूमि सुधार उप समाहर्ता
अरवल।